इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 18 | अंक संख्या 10 | मई, 2026 | पृष्ठों की संख्या - 09

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....4
पूंजी बाजार.....5
विनियामक के कथन.....5
आर्थिक संवेष्टन.....6
नई नियुक्ति.....6
विदेशी मुद्रा.....6
शब्दावली.....7
वित्तीय ज्ञान.....7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....7
संस्थान समाचार.....8
बाजार की खबरें.....8
हरित पहल.....9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति समिति की 06-08 अप्रैल 2026 को आयोजित बैठक की मुख्य बातें

- रेपो दर 5.25% बनी रहेगी।
- स्थायी जमाराशि सुविधा दर 5.00% जारी रहेगी।
- सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर अपरिवर्तित है और 5.50% बनी रहेगी।

विकासात्मक तथा विनियामक नीतियों पर घोषणा: मुख्य बातें

- पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात (सीआरएआर) की गणना में तिमाही लाभ शामिल करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों के दिशानिर्देशों की समीक्षा की जानी है।
- बाजार जोखिम के लिए पूंजी भार रखने वाले वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों को शामिल कर किंतु लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) के लिए निवेश उच्चावचन रिज़र्व आवश्यकता को हटा देने तथा उनके द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन व परिचालन हेतु संशोधित मानदंड अपनाए जाने का प्रस्ताव है।
- अनुमोदन, समीक्षा अथवा जानकारी हेतु बोर्ड के समक्ष रखने वाले विषय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विस्तृत समीक्षा और विवेकीकरण से गुजरेंगे।
- पर्यवेक्षी ढांचे के समेकन हेतु, शीर्ष बैंक ने 64 मास्टर निदेशों का प्रारूप बनाया है जिसमें 9 कार्यात्मक क्षेत्रों तक वर्तमान पर्यवेक्षी अनुदेश समेकित किए गए हैं।
- ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग प्रणाली (TReDS) प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग के समय एमएसएमई पर समुचित सावधानी की आवश्यकता हटा देने का प्रस्ताव है ताकि कारोबार में सुविधा को बढ़ावा मिले।
- टर्म मुद्रा बाजार खंड में भागीदारी तथा चलनिधि बढ़ाने हेतु, भागीदार आधार में अब गैर-बैंक भागीदार नामत: अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं, आवास वित्त कंपनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, कंपनियाँ आदि भी शामिल होंगी। इस खंड में एकल प्राथमिक डीलरों हेतु कर्ज लेने की सीमा भी बढ़ा दी जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक डिजिटल संव्यवहारों को सुरक्षित बनाने हेतु कार्य कर रहा है

डिजिटल भुगतान ई-अधिदेश ढांचे पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश विभिन्न भुगतान प्रणालियों में आवर्ती डिजिटल संव्यवहारों को सुरक्षित बनाने पर केंद्रित हैं। तुरंत प्रभाव से लागू इन दिशानिर्देशों में प्रथम डिजिटल संव्यवहार को प्रोसेस करने से पूर्व ग्राहकों द्वारा अधिप्रमाणन का एक अतिरिक्त फैक्टर लागू करने का अधिदेश है। वास्तविक प्रभार/नामे करने से न्यूनतम 24 घंटे पूर्व जारीकर्ताओं द्वारा एक संव्यवहार-पूर्व अधिसूचना भेजना अनिवार्य है। 15,000 रुपए तक के आवर्ती संव्यवहारों को मान्य करने हेतु अधिप्रमाणन के किसी अतिरिक्त फैक्टर की आवश्यकता नहीं होगी। प्रति संव्यवहार 1,00,000 रुपए तक के बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड अभिदान एवं क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान अधिप्रमाणन के अतिरिक्त फैक्टर के बगैर किए जा सकते हैं। आवर्ती संव्यवहारों के लिए ई-अधिदेश सुविधा लेने हेतु ग्राहकों द्वारा कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आईबीसी संशोधन अधिनियम, 2026

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 तीव्रतर कब्जाधारी देनदार समाधान के लिए 'ऋणदाता द्वारा शुरू किया गया दिवाला समाधान प्रक्रिया' लेकर आया है। संशोधन प्रक्रियात्मक पहलुओं को और सुगम बनाता है तथा स्टेकधारकों के अधिकारों को ज्यादा स्पष्ट करता है। साथ ही, इसमें, आहरण हेतु आवेदन के साथ बैंक गारंटी प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण द्वारा दिवाला आवेदनों को 14 दिनों के भीतर स्वीकार अथवा अस्वीकार कर देना है जिस हेतु कारण अनिवार्यत: दर्ज किए जाने हैं।

समावेशी तथा उत्पादकता चालित विकास को आगे बढ़ाने हेतु नीति आयोग द्वारा डीपीआई@2047 प्रारम्भ

विकसित भारत के लिए नीति आयोग डीपीआई@2047 लेकर आया है। डीपीआई 2.0 में इसके मार्ग हेतु ऋण, ऊर्जा व लाभ पहुँचाने के विकेंद्रीकरण जैसे प्रणालीगत साधनों को मजबूत करते हुए; एमएसएमई, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य में ढांचागत बाधाओं को दूर करने के लिए आठ क्षेत्रात्मक सुधार निर्दिष्ट किए गए हैं। साथ ही, निष्पादन हेतु चार कार्यान्वयन, परिणाम-जिला चालित मांग समूहन,

प्रौद्योगिकी उद्यमिता को बड़े पैमाने पर ले जाना, कृत्रिम मेधा (एआई) का उपयोग करना तथा डेटा के बेहतर उपयोग, डिजिटल संव्यवहारों, अधिक मजबूत मानव क्षमता तथा कृत्रिम मेधा के लोकतंत्रीकरण के जरिए क्षेत्रों के बीच दीवारों को तोड़ना, रेखांकित किए गए हैं।

बैंक ऋणी को छ: माह के भीतर 'इरादतन चूककर्ता' वर्गीकृत कर सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2027 से, यदि कोई बैंक आंतरिक प्राथमिक अध्ययन के दौरान इरादतन चूक पाता है, तो यह खाते के यथा अनर्जक आस्ति (एनपीए) वर्गीकरण के छ: माह के भीतर ऋणी को 'इरादतन चूककर्ता' वर्गीकृत या घोषित कर सकता है।

क्रेडिट कार्ड खातों को नियत तिथि के तीन दिन बाद ही 'पास्ट ड्यू' चिन्हित किया जाए: भारतीय रिज़र्व बैंक

1 अप्रैल 2027 से, एक क्रेडिट कार्ड खाते को 'पास्ट ड्यू' तभी चिन्हित किया जाएगा जब यह क्रेडिट कार्ड में दी गई भुगतान की नियत तिथि से तीन दिनों से अधिक तक 'पास्ट ड्यू' रहा हो। कार्ड जारीकर्ता कंपनियाँ ऋण आसूचना कंपनियों को ऐसे खातों की जानकारी देने या दंड लगाने का कार्य इस अवधि के बाद कर सकती हैं। यह दंड नियत तिथि के बाद बकाया राशि पर लगाया जाएगा न कि बकाया कुल राशि पर।

बैंकिंग नीतियाँ

भारतीय रिज़र्व बैंक का बैंकों को अनुदेश: उपचित हानि आधारित प्रावधानीकरण की जगह ईसीएल दृष्टिकोण लागू करें

वाणिज्यिक बैंकों के लिए आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान तथा आय निर्धारण मानदंडों को भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2027 के प्रभाव से संशोधित कर दिया है। तदनुसार, बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को प्रारम्भिक निर्धारण से ऋण जोखिम में परिवर्तन और क्या आस्ति, रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट इंपेयर्ड है, के आधार पर; प्रत्याशित ऋण हानि ढांचे (ईसीएल) के तहत हानि गुंजाइश के निर्धारण हेतु तीन चरणों के मानदंड को अपनाना होगा। बैंकों को ईसीएल ढांचे तथा प्रभावी ब्याज दर पद्धति के तहत अग्रदर्शी प्रावधानीकरण दृष्टिकोण लागू करना है।

रेट न किए गए एक्सपोजर पर जोखिम भार हेतु मानदंडों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सुधार

1 अप्रैल 2027 के प्रभाव से बासेल III-पूंजी प्रभार पर संशोधित निदेशों में, रेट न किए गए कॉर्पोरेट तथा एनबीएफसी एक्सपोजर हेतु न्यूनतम सीमा बढ़ा दी गई है और 500 करोड़ रुपए पर 150% जोखिम भार लागू होगा। 10 करोड़ रुपए तक के एकल एक्सपोजर न्यूनतर जोखिम भार का लाभ उठा सकेंगे। इस ढांचे के दायरे में एकल या समूह आधार पर 500 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले गैर-सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों सहित सभी लघु व्यवसायों को लाया गया है।

अधिकृत डीलरों (AD) को भारतीय रुपए वाली डेरिवेटिव संविदाओं में भाग लेने की मनाही

अधिकृत डीलरों को उनसे संबन्धित भागीदारों के साथ, भारतीय रुपए वाली डेरिवेटिव संविदा करने से मना कर दिया गया है। अपवाद (i) मौजूदा संविदाओं को रद्द करने और इनके रोल ओवर; तथा (ii) असंबंधित अनिवासी उपयोगकर्ताओं के साथ बैक-टू-बैक आधार पर की गई संविदाएँ होंगी।

बैंक गंदे, अपूर्ण नोट, सिक्के बदल कर नए नोट, सिक्के अनिवार्यत: प्रदान करें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने ग्राहकों तथा अन्य ग्राहकों के लिए भी, गंदे/कटे-फटे/अपूर्ण नोट बदल कर नए/उत्तम गुणवत्ता के सभी मूल्य वर्ग के नोट व सिक्के प्रदान करें। इस हेतु बैंक अपने व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) तथा पारगमन में नकदी (सीआईटी) निकायों को नियोजित कर सकते हैं ताकि ये सुविधाएं दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाई जा सकें।

बैंक भारतीय रुपए में की गई ओवरसीज ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं को सीसीआईएल को सूचित करें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को कहा है कि वे उनके द्वारा सीधे या उनके ओवरसीज निकायों के जरिए सभी ओवर-द-काउंटर विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं तथा विदेशी करेंसी ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाओं की जानकारी भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) की ट्रेड रिपॉजिटरी को भेजा करें। जहां संविदा का नोशनल 1 मिलियन अमरीकी डॉलर या इसके समतुल्य से अधिक न हो, वहाँ रिपोर्टिंग से छूट दी गई है।

सीडीएस की अधिकतम सीमा 5% पर अपरिवर्तित रहेगी: भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा बेचे गए क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप (सीडीएस) की नोशनल राशि को भारतीय रिज़र्व बैंक ने कॉर्पोरेट बांड के बकाए स्टॉक के 5% पर बनाए रखा है। 2026-27 के लिए 3.3 ट्रिलियन की अतिरिक्त सीमा निर्धारित की गई है। 2026-27 हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सामान्य तथा दीर्घकालिक दोनों श्रेणियों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में वृद्धिशील बदलावों के आवंटन को 50:50 पर बरकरार रखा है।

पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंडों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंडों को संशोधित किया है। तदनुसार, प्रावधान या भावी हानियों के समक्ष ऋण-हानि रिज़र्व जो अभी अनिर्दिष्ट हैं तथा हानि होने पर इसकी भरपाई हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध हैं, टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र होंगे। इस प्रकार, मानक आस्तियों (अर्थात चरण 1 या चरण 2 की आस्तियों) पर सामान्य प्रावधान तथा एनपीए की बिक्री जनित कोई अतिरिक्त प्रावधान टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र होगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कर्ज देने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिशानिर्देश जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कर्ज देने पर मानदंड जारी किए हैं। तदनुसार, टियर 1 व टियर 2 के शहरी सहकारी बैंकों द्वारा आवास ऋणों की अवधि, ऋण स्थगन अवधि को शामिल कर 20 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवास ऋणों में ऋण स्थगन की अवधि निर्माण पूर्ण होने तक अनुमत की जा सकती है जो ऋण के प्रथम संवितरण की तिथि से 24 माह से अधिक नहीं होगी। टियर 3 व टियर 4 के शहरी सहकारी बैंकों को, उनकी बोर्ड नीतियों के अनुरूप, आवास ऋणों हेतु, ऋण स्थगन अवधि को शामिल कर आवास ऋणों की अवधि निर्धारित करने की अनुमति है।

लघु एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीयन आवश्यकताओं से छूट

नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 1,000 करोड़ रुपए से कम आकार की आस्तियों वाली एनबीएफसी जो सार्वजनिक निधियाँ नहीं लेतीं और जिनका ग्राहक इंटरफेस नहीं है, को पंजीयन आवश्यकताओं से छूट (विशिष्ट शर्तों के अधीन) दी जाएगी तथा 'अपंजीकृत टाइप 1 एनबीएफसी' वर्गीकृत किया जाएगा। मौजूदा टाइप 1 एनबीएफसी जो छूट की पात्रताओं को पूरा करते हों, छः माह के भीतर अपंजीयन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

शहरी सहकारी बैंक (UCB) क्षेत्र हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मिशन सक्षम (SAKSHAM) की शुरुआत

सभी शहरी सहकारी बैंकों में प्रबंधकीय व परिचालन क्षमताओं में वृद्धि, अनुपालन संस्कृति में सुधार तथा सांस्थानिक आघात सह्यता के सुदृढ़ीकरण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने मिशन सक्षम (सहकारी बैंक क्षमता निर्माण) शुरू किया है। इसमें विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यथासंभव ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषा में होंगे।

बेहतर निवेशक अनुभव हेतु चल दर बचत बांड, 2020 के दिशानिर्देशों को अद्यतन किया गया है

चल दर बचत बांड, 2020 (कराधीन) हेतु परिचालन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधित किया है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित प्राप्तकर्ता कार्यालय (आरओ) अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पर दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। बांड इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में जारी होंगे तथा नकद जमा करने की तिथि अथवा ड्राफ्ट/चेक की उगाही/निधि प्राप्ति की तिथि को निवेशक/कों के बांड लेजर खाते (बीएलए) में जमा होंगे। एक आरओ द्वारा एक ही निवेशक के नाम में रखे या खोले गए खाते में नए या एकाधिक बीएलए नहीं खोले जाएंगे।

सीमापार भुगतान और आसान बनाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मानदंड जारी

सीमापार भुगतान हेतु निदेश देते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को कहा है कि आवक संदेश मिलते ही वे अपने ग्राहक को सूचित करें। नोस्त्रो खाते में जमा का समाधान तथा पुष्टि बैंकों द्वारा उसी समय अथवा आवधिक अंतराल जो एक घंटे से अधिक न हो, पर की जाए। विदेशी मुद्रा संव्यवहारों की सुविधा और निगरानी हेतु बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल इंटरफेस की सुविधा दे सकते हैं।

पूर्व अनुमोदन के बिना शाखाएँ खोलने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी को मंजूरी

एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से परिचालनात्मक स्वतन्त्रता मिली है जिससे वे अधिकांश मामलों में बगैर अनुमोदन शाखाएँ खोल सकेंगे। तथापि, जमाराशि लेने वाली संस्थाओं पर, निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) के आधार पर कतिपय शर्तें लगाई गई

हैं। 50 करोड़ रुपए तक के एनओएफ वाली जमाराशि स्वीकारकर्ता अथवा एए से नीचे रेटिंग की एनबीएफसी जिस राज्य में इसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है, के भीतर शाखा खोल सकती है या एजेंट नियुक्त कर सकती है। यदि एनओएफ और ऋण रेटिंग इन स्तरों से अधिक है तो एनबीएफसी भारत में कहीं भी शाखा खोल सकती है या एजेंट नियुक्त कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक का बैंकों को अनुदेश: आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ जारी रखें

1 जुलाई 2026 से, बैंक आपदा प्रभावित क्षेत्रों हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार कार्य करेंगे। तदनुसार, ऐसे क्षेत्रों में एक बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित कार्यालय को सूचित कर, अस्थायी परिसर से अपनी शाखाएँ चला सकता है। विस्थापित अथवा आपदा प्रभावित व्यक्तियों जिन्होंने अपनी पहचान के या निजी अभिलेख खो दिए हैं, के लिए लघु खाते खोले जा सकते हैं। बैंक द्वारा ऋण आकलन में, प्रभावित ऋणियों पर आपदा के असर को उचित तरीके से हिसाब में लिया जाएगा।

पूंजी बाजार

एफपीआई के लिए निधियों के निवल समाधान हेतु सेबी ने नया ढांचा अपनाया है

मौजूदा सकल निपटान व्यवस्था से हटकर सेबी नया ढांचा अपनाने वाला है। 31 दिसंबर 2026 को या इससे पूर्व लागू किए जाने वाले इस नए ढांचे से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा नकद बाजार में एकमुश्त खरीद के संव्यवहारों हेतु निधियों का निवल समाधान संभव हो सकेगा।

एसएसई पर एनएफओ के लिए सेबी द्वारा वैधता अवधि का विस्तार, अभिदान में कमी

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) पर अलाभार्थ संगठनों हेतु वैधता अवधि तथा अभिदान आवश्यकताओं में सेबी ने बदलाव किए हैं। एसएसई पर एनएफओ के पंजीकरण की वैधता दो वर्ष से बढ़ा कर तीन वर्ष कर दी गई है। शून्य कूपन शून्य मूलधन लिखतें (जेडसीजेडपी) जारी करने हेतु न्यूनतम अभिदान आवश्यकता भी 75% से घटा कर 50% कर दी गई है।

सार्वजनिक निगम लाने वाली कंपनियों को सेबी द्वारा एकबारगी राहत

सार्वजनिक निगम लाने की इच्छुक कंपनियों, जिनकी अनुपालन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल और 30 सितंबर, 2026 के बीच है, को सेबी से बड़ी राहत मिली है। विनियामक ने प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) समय सीमा तथा न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता पर एकबारगी राहतों की घोषणा की है। पूर्वोक्त कंपनियों को अभी तथा 30 सितंबर, 2026 के बीच समाप्य आब्जर्वेशन पत्रों की वैधता बढ़ा कर मिलेगी।

मुख्य कमियों के सेबी द्वारा सुधार के बाद, गिरवी शेयर अब लॉक-इन किए जा सकते हैं

सेबी ने डिपॉजिटरीज़ को ऐसी व्यवस्था लागू करने को कहा है जो गिरवी रखे गए शेयरों को लॉक-इन अवधि के दौरान 'अहस्तांतरणीय' चिन्हित कर लॉक-इन करना संभव बनाए। स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरीज़, मर्चेन्ट बैंकरों तथा निर्गमकर्ताओं को सेबी ने नयी व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

विनियामक के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के इकोसिस्टम का स्तम्भ है: श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

यूएसए के प्रिंसटन विश्वविद्यालय में अपने हाल के सम्बोधन में, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि शीर्ष बैंक भारत के वित्तीय इकोसिस्टम का स्तम्भ है। इसके उत्तरदायित्वों में बैंकों, एनबीएफसी व भुगतान प्रणालियों के विनियमन तथा पर्यवेक्षण के साथ मौद्रिक नीति, करेंसी प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नीति निर्माण में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों में उपयुक्तता के ऊपर दृढ़ता को प्राथमिकता देना, अटेनुएशन पर ब्रेनार्द के सिद्धांत का पालन करना, मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं की एंकरिंग तथा पारदर्शिता व स्पष्ट सम्प्रेषण बनाए रखना शामिल है।

वित्त में एआई के उपयुक्ततम इस्तेमाल हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर द्वारा पाँच बिंदुओं का चार्टर निर्धारित

सीयूबी श्री वी. नारायणन स्मृति व्याख्यान देते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे ने कहा कि वित्तीय इकोसिस्टम में एआई की उभरती भूमिका अनिश्चितताओं को कम करेगी और सभी स्टेकधारकों हेतु अवसर बढ़ाएगी। समावेशन विस्तार, दक्षता अधिकतम करने और विश्वास मजबूत करने के लिए उन्होंने वित्त में एआई के पूर्णरूपेण अंगीकरण हेतु पाँच बिंदुओं का चार्टर निर्धारित किया। इन पाँच बिंदुओं में मानव उत्तरदायित्व, निष्पक्षता तथा स्पष्टीकरण, सुदृढ़ डेटा अभिशासन, मजबूत सांस्थानिक क्षमता तथा समावेशन निर्माण शामिल हैं।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अप्रैल 2026 हेतु जारी मासिक आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- मार्च 2026 में 3.4% के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ उपभोक्ता स्तर पर मुद्रास्फीति कम बनी रही।
- कुल निर्यातों में वर्षानुवर्ष 4.2% की वृद्धि हुई जबकि कुल आयातों में वर्षानुवर्ष 6.5% की वृद्धि हुई।
- मार्च 2026 में विनिर्माण पीएमआई घट कर 53.9 रही तथा सेवा पीएमआई घटकर 57.5 रही।
- मार्च 2026 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वर्षानुवर्ष 4.1% की वृद्धि दर्ज की गई।
- फरवरी 2025 की तुलना में, फरवरी 2026 में, एमएसएमई क्षेत्र को बैंक ऋण में वर्षानुवर्ष 27.5% की वृद्धि हुई। एमएसएमई क्षेत्र में सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को प्रदान ऋणों में वर्षानुवर्ष 30.4% की वृद्धि हुई।
- यथा दिसंबर 2025, एनबीएफसी का कुल सीआरएआर 25.59% है।
- वित्तवर्ष 26 में अप्रैल-फरवरी के दौरान सकल एफडीआई अंतर्वाह वर्षानुवर्ष 18.1% बढ़ कर 88.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
- वित्तवर्ष 26 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह में काफी उतार-चढ़ाव रहा और संचयी निवल बहिर्वाह 16.6 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा।

नई नियुक्ति

नाम	पदनाम
श्री रोहित जैन	उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री सुशांत कुमार मोहंती	कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र
श्री विवेक त्रिपाठी	कार्यपालक निदेशक (अतिरिक्त), एयू स्माल फाइनेंस बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा भंडार

मद	यथा 24 अप्रैल 2026	
	करोड़ (₹)	मिलियन अमरीकी डॉलर
	1	2
1 कुल भंडार	6582387	698487
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5226609	554622
1.2 स्वर्ण	1133076	120236
1.3 एसडीआर	176918	18774
1.4 आईएमएफ में रिज़र्व पोजीशन	45785	4855

विगत 6 माह में विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर) में प्रवृत्तियाँ

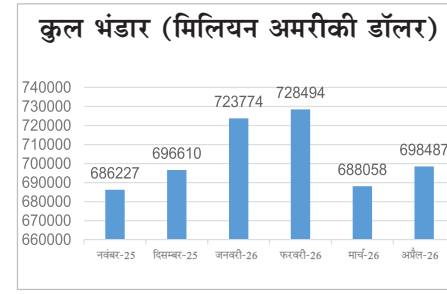

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

यथा 30 अप्रैल 2026 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें, अप्रैल 2026 माह हेतु लागू

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
SOFR (अमरीकी डॉलर)	3.64
SONIA (जीबीपी)	3.7306
STR (यूरो)	1.932
TONA (जापानी येन)	0.727
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.3000
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	4.10
SARON (स्विस फ्रैंक)	-0.038846

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
OCR (न्यूज़ीलैंड डॉलर)	2.25
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	1.633
SORA (सिंगापुर डॉलर)	1.1487
HONIA (हांगकांग डॉलर)	2.05849
MYOR (म्यांमार रुपया)	2.75
DESTR (डैनिश क्रोन)	1.5080

स्रोत: *www.fbil.org.in*

शब्दावली

निवेश उच्चावचन रिज़र्व

निवेश उच्चावचन रिज़र्व (आईएफआर) बैंकों द्वारा उनके निवेश पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव जनित संभावित हानियों से खुद को बचाने के लिए रखा जाने वाला विवेकपूर्ण रिज़र्व होता है।

वित्तीय ज्ञान

स्लिपेज

स्लिपेज ऋणों की उस नवीन राशि को दर्शाते हैं जो एक वर्ष में अशोध्य हो गई है।

स्लिपेज अनुपात = (वर्ष में जमा नवीन एनपीए/वर्ष के शुरू में कुल मानक आस्तियां)*100

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

कार्यक्रम	तिथि	स्थान
प्रमाणित ऋण पेशेवरों हेतु परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	12-14 मई, 2026	वर्चुअल
ट्रेजरी परिचालन, विदेशी मुद्रा और ट्रेड फाइनेंस पर कार्यक्रम	12-14 मई, 2026	वर्चुअल
बैंकों, एनबीएफसी व एफआई हेतु जलवायु जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम	15-16 मई, 2026	लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ, मुंबई
विधिक और गैर-विधिक विभिन्न वसूली रणनीतियों पर कार्यक्रम	18-19 मई, 2026	वर्चुअल
बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, केवाईसी व एएमएल-सीएफटी अनुपालन पर कार्यक्रम	20-22 मई, 2026	वर्चुअल
ऋण व परिचालन जोखिम के न्यूनीकरण हेतु रणनीतियों पर कार्यक्रम	25-26 मई, 2026	वर्चुअल

संस्थान समाचार

जेएआईआईबी व सीएआईआईबी की पढ़ाई हेतु फ्लिप पुस्तकें उपलब्ध

संस्थान ने जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, सीएआईआईबी इलेक्टिव तथा डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस परीक्षाओं हेतु अध्ययन के लिए अब पुस्तकों के डिजिटल संस्करण (फ्लिप पुस्तकें) उपलब्ध करा दी हैं। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in पर जाएँ।

एसएमई सूचीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित

संस्थान के विभिन्न शैक्षणिक कार्यकलापों में सहयोग देने के लिए आईआईबीएफ ने विषय वस्तु विशेषज्ञों (एसएमई) के सूचीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई 2026 है। ज्यादा जानकारी www.iibf.org.in पर उपलब्ध है।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय

अप्रैल-जून 2026 तिमाही हेतु बैंक क्वेस्ट के अंक का विषय-'वित्तीय समावेशन-आगामी चरण' है।

बाजार की खबरें

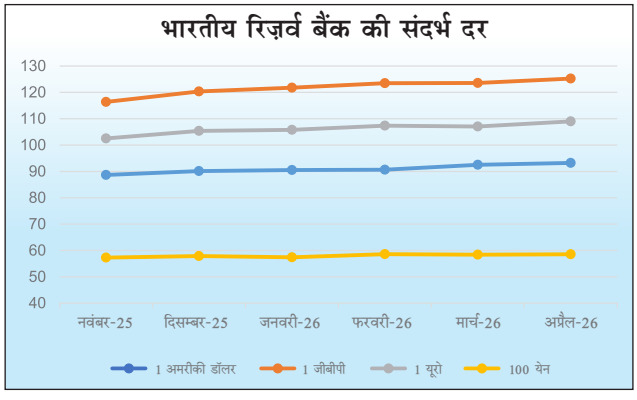

स्रोत: एफबीआईएल

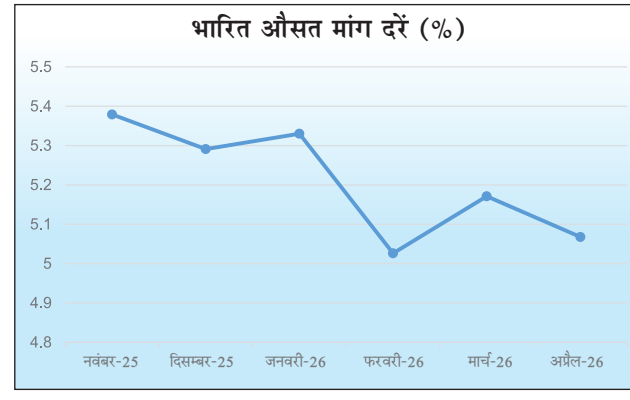

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

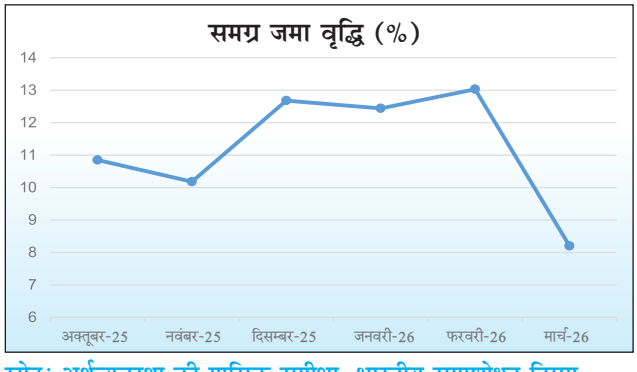

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल 2026

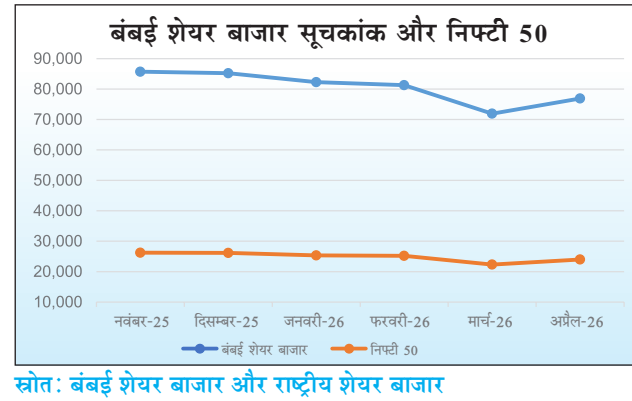

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

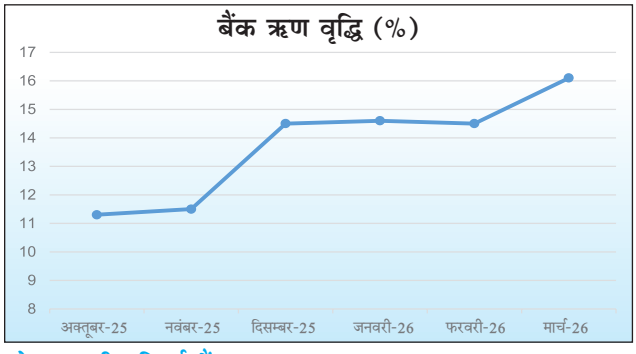

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

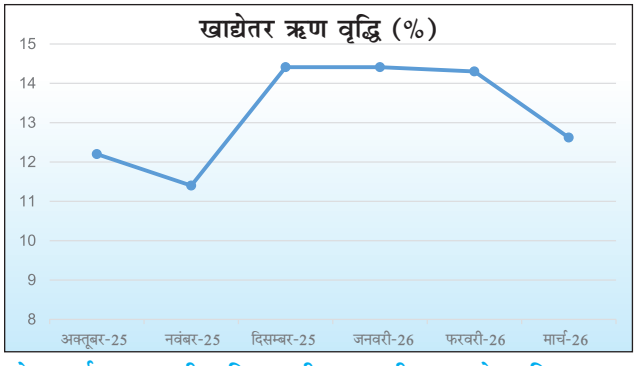

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल 2026

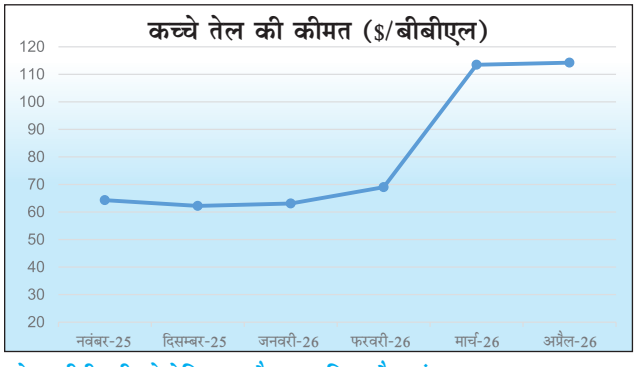

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

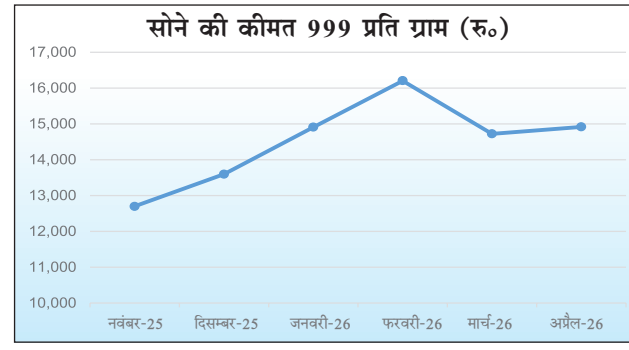

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

हरित पहल

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई–मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई-मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

परीक्षाओं हेतु महत्त्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में कट-ऑफ तिथि

संस्थान की यह प्रथा है कि प्रत्येक परीक्षा में नियामक द्वारा जारी किए गए हालिया घटनाक्रमों/दिशानिर्देशों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि यह जांचा जा सके कि उम्मीदवार वर्तमान घटनाक्रमों से अवगत हैं या नहीं। हालांकि, प्रश्न पत्र तैयार होने की तिथि और वास्तविक परीक्षा की तिथि के बीच घटनाक्रमों/दिशानिर्देशों में परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि: (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के मार्च से अगस्त की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 31 दिसंबर तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के सितंबर से फरवरी की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 30 जून तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा।

Printed by Deepak Kumar Lalla, **Published by** Deepak Kumar Lalla, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Printrade Issues (I) Pvt. Ltd., 17, Pragati Ind. Estate, 316, N.M. Joshi Marg, Mumbai - 400011 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Deepak Kumar Lalla

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in